न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2 औरैया ।

CNR No. : UPAU01000856-2026

उपस्थिति : महेश कुमार (H.J.S.) ; J.O. Code : U.P. 06484

राज्य उत्तर प्रदेश । ...अभियोगी

बनाम

मनीष पुत्र जगदीश चन्द्र उम्र 45 वर्ष, पेशा प्राईवेट नौकरी, निवासी नगला विजयी थाना कुदरकोट, जिला औरैया ।

...अभियुक्त

प्रकीर्ण दण्ड वाद संख्या : 72/2026

धारा : 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता ।

थाना : दिबियापुर ।

जिला : औरैया ।

निर्णय

प्रकीर्ण दण्ड वाद संख्या 72/2026 "राज्य बनाम मनीष", धारा 344 भारतीय दण्ड संहिता, थाना दिबियापुर जिला औरैया, के अभियोग में अभियुक्त मनीष का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया ।

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई ।

अभियुक्त मनीष मय अधिवक्ता उपस्थित आया । पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत है । आज दिनांक 14-03-2026 को अभियुक्त मनीष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया गया और जुर्म -स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनीष पर रुपये 500/- अर्थ दंड अधिरोपित किया गया जो अभियुक्त मनीष द्वारा न्यायालय में जमा कराया गया ।

चूंकि अभियुक्त मनीष द्वारा अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया गया है और उसके द्वारा अधिरोपित अर्थ दंड भी न्यायालय में जमा किया जा चुका है तब ऐसी दशा में इस प्रकीर्ण दंडवाद की पत्रावली में अब किसी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही बचा है । अतः यह मुकदमा इसी स्तर पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में तद्नुसार निर्णीत किया जाता है ।

आदेश

अभियुक्त मनीष को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्ध किया गया और दोषसिद्धि का अधिरोपित जुर्माना धनराशि रुपये 500/- जो कि न्यायालय में जमा किए जा चुके है, के आधार पर यह प्रकीर्ण दण्डवाद तद्नुसार निस्तारित किया जाता है । इस प्रकीर्ण दण्डवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल- अभिलेखागार की जाए ।

दिनाँक : 14-03-2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।}

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे दिनाँकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनाँक : 14-03-2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।}

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.03.14 13:27:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court